

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 08.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री सर्व दवन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल श्री राकेश कुमार सिंह की गठित टीम द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 392/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता राजकुमार पुत्र कोमल निषाद निवासी गगननई राव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 08.10.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजकुमार पुत्र कोमल निषाद निवासी गगननई राव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 18.09.2026 को थाना मेहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 392/2026 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त को आज दिनांक 08.10.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, हे0का0 कामेश्वर सिंह।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 08.10.2026

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6893 द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा टक्कर लगने के कारण घायल बालिका को भेजवाया गया अस्पताल— पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत गरथौलिया से कालर द्वारा सड़क पर पैदल जा रही बालिका निवासी गरथौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अज्ञात बाइक द्वारा टक्कर लग जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल बालिका को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल बालिका को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 अजीत कुमार यादव, मु0आ0चा0 सुरेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 232 वाहनों से 3,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 232 वाहनों से 3,53,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।